न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 68 / 2020
निर्णय दिनांक : 26.03.2021

1. श्योजीराम पुत्र स्व0 श्री झूंथा
2. नारायणलाल पुत्र स्व0 श्री झूंथा
3. श्रीमती नाना देवी पत्नी स्व0 श्री झूंथा
4. मागु पुत्र बिरधा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास, पटवार हल्का कल्याणपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. लोक निर्माण विभाग जरिये अधिशांसी अभियंता पता नियर जय महल होटल, कमला नेहरू नगर, हसमपुरा जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 136 के राजस्व राजस्व भू–अधिनियम 1956

मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता व दादा स्व0 श्री बिरदा के नाम से साबिक खसरा न0 59 रकबा 31 बीघा 14 बीस्वा वाके ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास पटवार हल्का कल्याणपुरा जहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित थी। जिस पर स्व0 बिरदा पुत्र गणेश तथा उसके पश्चात प्रार्थीगण कृषि काश्त कर अपने उपभोग में लेते आ रहे है। राज्य सरकार द्वारा रोड निर्माण करने के लिए उक्त खसरा नम्बर 59 रकबा 31 बीघा 14 बीस्वा में से 1 बीघा 15 बीस्वा भूमि आवाप्त की। जिसका नामान्तरण संख्या 49 के द्वारा बटटा नम्बर 59 / 127 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा का अप्रार्थी संख्या एक के नाम से खोली जाकर प्रार्थीगण के पिता की आराजियात कम कर दी गई। उक्त साबिक खसरा न0 59 रकबा 31 बीघा 14 बीस्वा यानि 8.02 है0 के हाल खसरा न0 179 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 181 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 182 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 183 मिन रकबा 1.53 है0 , खसरा न0 184 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 186 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 187 मिन रकबा 0.50 है0 खसरा नं0 181 / 272 रकबा 0.15 है खसरा नं0 181 / 285 रकबा 2.16 है0, खसरा नं0 230 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 231 मिन रकबा 0.75 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 7.95 है0 वाके ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बनें। साबिक खसरा नं0 59 / 127 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा यानि 0.43 [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से आनी चाहिए थी परन्तु हाल खसरा नं0 187 रकबा 0.50 है0 भूमि [illegible] संख्या 1 के नाम अंकित कर दी जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 0.43 है0 भूमि [illegible] में भी दर्शाया गया है) होनी चाहिए थी इस प्रकार प्रार्थीगण [illegible] भूमि गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम लगा दी जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] बददस्तुर है इस कारण उक्त दुरूस्ती किया जाना न्याय हित में आवश्यक है उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है जो दौरान सेटलमैन्ट भू प्रबंध अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा भूलवशं की गई है जिसकों दुरूस्त कर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के खसरा नं0 181/272 के रकबा में शमिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसका नक्शाट्रेस का रकबा बरारी करने पर रकबा भी ज्यादा बनता है। उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहां पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए आपको सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना होगा इस कारण प्रार्थी गण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमि हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.03.2021 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर से श्री नानूलाल (एईएन पी0डब्लू0डी0) उपस्थित, जिसका नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2021 को पेश, जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

अप्रार्थी संख्या एक ने दिनांक 17.03.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया है कि वर्णित कथन रिकार्ड व वास्तविक तथ्यों के विपरित अंकित किये गये है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पिता व दादा बिरधा पुत्र गणेश के वारिसान होना अंकित किया है। जिसका उक्त पत्रावली मे कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा उक्त भुमि का उपयोग उपभोग करने का कथन बनावटी हैं। अवाप्तशुदा खसरा नंबर 59 में से बटटा नंबर 59/127 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का ना तो राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए यह रिकार्ड के विपरित माननीय न्यायालय से किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं 183 मिन का रकबा 1.59 है होने के उपरान्त रकबा 1.53 है. अंकित किया गया हैं तथा खसरा नं 231 मिन का रकबा 0.75 है अंकित किया गया हैं। जबकि वास्तविकता यह हैं कि खसरा नं 231 मिन के हाल नंबर 231/1, 231/2 कुल रकबा 1.25 है. हैं। जिसका रिकार्ड छुपाकर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं 59/127 का राजस्व रिकार्ड, नक्शा, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं करके न्यायालय को गुमराह किया हैं। प्रार्थीगण का रकबा यदि कम भी होना मानते हैं तो खसरा नं 187 से कम हुआ है तथा खसरा नं 182/272 का तो खसरा नं 187 से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। इसलिए खसरा नं 187 का हिस्सा खसरा नं 182/272 में दुरूस्ती कर जुड़वाने का प्रार्थीगण अधिकारी नहीं हैं। वर्तमान नक्शा व पुराने नक्शे से मिलान करने पर ही सही स्थिति का माननीय न्यायालय द्वारा आक्कलन कर निर्णय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा रिकार्ड के विरूद्ध जाकर प्रार्थीगण से मिलीभगत कर उनको फायदा पहुचाने की नियत से किया हैं। अप्रार्थी का अवाप्तशुदा रकबा खसरा नं 59 से 1 बीघा 15 बिस्वा का अंकन किया गया हैं लेकिन तहसीलदार द्वारा यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि उक्त अवाप्तशुदा रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खसरा नं 59/127 का भाग है या खसरा नं 187 का भाग है तथा गत खसरा नं 60 रकबा 13 बिस्वा को भी मिन अप्रार्थी के हक मे अवाप्त किया जाकर रिकार्ड में प्रार्थीगण से मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज हैं तथा उक्त दोनो खसरा नम्बरान के हाल खसरा नं 187 से बने है। इस बाबत कही स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण के नाम कितनी खातेदारी की भूमि थी तथा उसके कितने नम्बर बनाये ग[illegible] रकबे मे कमी बेसी जमाबंदी, नक्शा ट्रेस मे किस प्रकार की [illegible] भूमि कितनी थी तथा उसके क्या वर्तमान नम्बर बने [illegible] सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार से पुन रिपोर्ट लेने हेतु निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया है ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बांस पटवार मण्डल कल्याणपुरा के साबिक ख0 नं 59 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक हेतु

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible]

अवाप्त की गयी थी। साबिक ख.नं. 59 में से अवाप्त रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का रकबा 0.44 होता हैं। इस प्रकार साबिक ख.नं. 59 में से रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा तथा हैक्टे में 0.44 है. के बजाय मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 0.50 है. भूमि हाल ख.नं. 187 में दे दी गयी जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं जबकि ख.नं. 187 में 0.44 है. भूमि ही जानी चाहिए थी जबकि सडक में 0.50 है. दे दी गयी। इस प्रकार 0.06 है. भूमि सडक में अधिक दे दी गयी हैं। इसी ग्राम के हाल ख.नं. 181/272 रकबा 0.15 है. दर्ज हैं जबकि मुताबिक रकबा बरारी के 0.33 हैक्टयर हैं। अतः ख.नं. 187 रकबा 0.62 है. में साबिक ख नं. 59 में से सडक भूमि में अधिक दी हुई 0.06 हैक्टयर रकबा कम करके वर्तमान ख.नं. 181/272 के रकबे में जोडा जाना अपेक्षित हैं।

बहस उभयपक्षकारान पर सुनी गई, बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य सबुतों का अवलोकन किया जाने पर पाया कि ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 181/272 रकबा 0.15 है. दर्ज हैं जबकि मुताबिक रकबा बरारी के 0.33 हैक्टयर हैं। ख.नं. 187 रकबा 0.62 है. में साबिक ख.नं. 59 में से सडक भूमि में अधिक दी हुई 0.06 हैक्टयर रकबा कम करके वर्तमान ख.नं. 181/272 के रकबे में जोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब अनुसार वाके ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास, पटवार हल्का कल्याणपुरा तह0 सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि मे से 0.06 हैक्टेयर भूमि कम कर प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 181/272 में 0.06 हैक्टेयर में जोडा जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)